# विवेकपूर्ण सलाह: MSME क्षेत्र पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

28 जून, 2019

**"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर पर आरबीआई के पैनल के सुझाव महत्त्वपूर्ण मुद्दों को इंगित करते हैं।"**

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र केवल विकास का एक प्रमुख इंजन नहीं है, यह सकल घरेलू उत्पाद के 28% से अधिक और विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% का योगदान देता है। यह अर्थशास्त्र का एक सच्चा प्रतिबिंब भी है। यह लगभग 111 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, इसलिए इस क्षेत्र का स्वस्थ रहना अर्थव्यवस्था और समाज की भलाई के लिए महत्त्वपूर्ण है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में इस संदर्भ में MSMEs के समस्याग्रस्त मुद्दों पर एक महत्त्वपूर्ण और सार्थक अध्ययन प्रस्तुत किया है तथा उनका निवारण करने के लिए सिफारिशों का एक बहुत अच्छा सेट बनाया है।

अब आवश्यक है कि एक 13-वर्षीय कानून, एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006, को बाजार की सुविधा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देने के लिए बदल दिया जाए। यह देखते हुए कि कई भारतीय स्टार्ट-अप, जो नवाचार के मामले में सबसे आगे हैं, वे विदेशों की ओर अधिक अग्रसर हैं क्योंकि इन्हें भारत में अनुकूल कारोबारी माहौल और बुनियादी ढाँचे तथा बेहतर नीतियों की कमी महसूस होती है।

इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए एक नए कानून का निर्माण करना होगा। अध्ययन का एक बड़ा भाग MSMEs को ऋण प्रवाह में सुधार के लिए समाधानों को फिर से तैयार करने के लिए उचित रूप से समर्पित है। उदाहरण के लिए, विशेषज्ञ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को फिर से तैयार करने की सलाह देते हैं।

अपनी विस्तारित भूमिका में, इसमें परिकल्पना की गई है कि सिडबी, न केवल NBFC और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों सहित ऋणदाताओं को आराम प्रदान करने वाला प्रदाता होने के नाते MSMEs के लिए कम सेवा वाले क्षेत्रों में ऋण बाजार को गहरा कर सकता है, बल्कि एसएमई ऋण के लिए बाजार निर्माता भी बन सकता है।

प्रौद्योगिकी के साथ, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म, इतना सर्वव्यापी हो जाने के कारण, पैनल ने इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी-सुविधा समाधानों को अधिक से अधिक अपनाने का विचार किया है।

एक अन्य सुझाव, सरकार ई-मार्केटप्लेस (GeM, Government e-Marketplace) पर व्यापार प्राप्य डिस्काउंट सिस्टम के साथ जानकारी के एकीकरण को बढ़ाना है। यहाँ भी लक्ष्य MSMEs में तरलता को बढ़ावा देना है। एक उल्लेखनीय सिफारिश बैंकों से नकदी प्रवाह-आधारित उधार पर स्विच करने से संबंधित है।

आरबीआई और केंद्र ने स्पष्ट रूप से इस विवेकपूर्ण सलाह के जरिये इस क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य किया है, जिससे इस क्षेत्र की वास्तविक आर्थिक क्षमता को वास्तविक बनाने में मदद् मिल सकेगी।

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) को समय से कर्ज की सुविधा और उनकी आर्थिक तथा वित्तीय मजबूती के संदर्भ में दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिये यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गयी आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- समिति ने छोटे कारोबारों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की एक संकट निधि (स्ट्रेस फंड) बनाने की सिफारिश की है।
- समिति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर में निवेश करने वाली वीसी/पीई कंपनियों की मदद् के लिए सरकार प्रायोजित एक निधि का भी सुझाव दिया है, ताकि इस खंड में निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।
- समिति 5,000 करोड़ रुपये वाले एक संकट संपत्ति कोष बनाने की सिफारिश करती है, जिसका ढांचा उस क्लस्टर में स्थित इकाईयों की मदद् करने के लिहाज से बना हो, जहाँ बाहरी पर्यावरण में बदलाव, प्लास्टिक या डंपिंग पर प्रतिबंध के कारण बड़ी संख्या में एमएसएमई गैर निष्पादित संपत्तियाँ बन जा रही हों।
- समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एमएसएमई, स्वयं सहायता समूहों और कर्जधारकों को मिलने वाले बिना जमानत वाले लोन को दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक किया जाए।
- इस समिति में सिन्हा के साथ कुल आठ सदस्य थे। रिजर्व बैंक ने इस साल जनवरी में इस समिति की स्थापना की थी।
- इसका लक्ष्य एमएसएमई के मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना और आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक सुझाव देना था।

### क्या है?

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है।
- दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र के विकास के संबंध और सभी सरकारी कार्यों में समन्वय की देखरेख के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एसएमई विकास एजेंसी की स्थापना की है।
- भारत के मामले में भी मध्यम उद्योग स्थापना को एक अलग नियम के अंतर्गत परिभाषित किया है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 (जो 02 अक्टूबर, 2016 से लागू) है।
- विकास आयुक्त का कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल विकास एजेंसी (एमएसएमई) के रूप में कार्य करता है।

### भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

- सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिये एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई।

### उद्देश्य

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिये ऋण प्रवाह को सुगम एवं सुदृढ़ बनाना और इसके पारितंत्र के वित्तीय एवं विकासपरक, दोनों प्रकार के अंतरालों की पूर्ति करना।
- MSME क्षेत्र को सुदृढ़, ऊर्जावान तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के उद्देश्य से उसकी वित्तीय और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का एकल केंद्र बनना।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए शेयरधारकों के धन व सर्वोत्तम निगमित मूल्यों की वृद्धि करना।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

**1. यू.के. सिन्हा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इसने सभी कारोबारियों के लिए 5000 करोड़ की एक संकट निधि की स्थापना की सिफारिश की है।
2. समिति ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत् एमएसएमई, स्वयं सहायता समूहों और कर्जधारकों को बिना जमानत के मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने का विचार दिया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) कवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

## Expected Questions (Prelims Exams)

**1.** Consider the following statements regarding the recommendations made by the U.K. Sinha Committee.

1. It has recommended setting up of a crisis fund of Rs 5000 crore for all businessmen.
2. Under the Prime Minister's Mudra Scheme, the Committee has given the idea of raising the limit of money to MSMEs, Self Help Groups and borrowers without any security, to Rs 40 lakh.

Which of the above is / is the statement true?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

## Expected Questions (Mains Exams)

**प्रश्नः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है, लेकिन यह कुछ आधारभूत समस्याओं से ग्रसित है। इसके उत्थान के लिए कौन-से महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? यू.के. सिन्हा समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के सन्दर्भ में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ( 250 शब्द )**

**Q. Micro, Small and Medium Enterprises is the basis for the development of the economy, but it is suffering from some basic problems. What important steps need to be taken for its uplift? Explain your thoughts in relation to recommendations submitted by the U.K.Sinha Committee. (250 Words)**

**नोट : 27** जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

Committee